

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012

(शासनादेश संख्या 1069/36-5-2012 दिनांक 13 अगस्त, 2012 के अनुसार अद्यतन संशोधित संस्करण)

1 नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012 कहलायेगी।
2 उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत 25 वर्ष से अधिक आयु के उन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना है जो इस नियमावली में दी गयी अर्हता की शर्तों से आच्छादित है। साथ ही इन युवा बेरोजगारों को प्रदेश की प्रगति में समुचित रूप से नियोजित करने का प्रयास करते हुए उनकी रोजगारपरकता में अभिवृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है।
3 प्रसार/विस्तार	यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
4 प्रारम्भ होने की तिथि	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
5 परिभाषाएँ	<p>(i) योजना इस नियमावली के प्रयोजनार्थ "योजना" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012" से है।</p> <p>(ii) बेरोजगार "बेरोजगार" का तात्पर्य इस नियमावली में निर्धारित अर्हता की शर्तों को पूर्ण करने वाले 25 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति से है जो प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो और इसके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय ₹ 36,000 अथवा इससे कम हो।</p> <p>(iii) बेरोजगारी भत्ता "बेरोजगारी भत्ता" का तात्पर्य इस नियमावली के अन्तर्गत अर्ह बेरोजगारों को दिये जाने वाले मासिक भत्ते से है।</p> <p>(iv) परिवार "परिवार" का तात्पर्य बेरोजगार व्यक्ति एवं उसकी पत्नी अथवा पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा</p>

उसकी सन्तानों से है।

6 अर्हता

1. आयु

(शासनादेश संख्या
981/36-2-2012
दिनांक 23 जुलाई,
2012 द्वारा
संशोधित)

(i) इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आयु जिस वित्तीय वर्ष हेतु बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाना हो उस वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष या उससे अधिक हो।

(ii) लाभार्थी को अन्य शर्तें पूर्ण करते रहने की दशा में 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने के माह तक योजना का लाभ मिलता रहेगा।

(अनुमन्य साक्ष्य – हाईस्कूल का प्रमाणपत्र)

2. शैक्षिक योग्यता

हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(अनुमन्य साक्ष्य – हाईस्कूल अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र)

3. सामान्य निवास

(शासनादेश संख्या
856/36-5-2012
दिनांक 16 जून, 2012
द्वारा संशोधित)

बेरोजगार व्यक्ति उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी हो।

(अनुमन्य साक्ष्य –

(i) तहसीलदार द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र।

(ii) अनुलग्नक-3 एवं 4 निरस्त।)

4. परिवारिक आय

(शासनादेश संख्या
981/36-2-2012
दिनांक 23 जुलाई, 2012
द्वारा संशोधित)

बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की समस्त स्रोतों से आय ₹ 0 36,000/- वार्षिक अथवा इससे कम होनी चाहिए।

(अनुमन्य साक्ष्य –

(i) तहसीलदार द्वारा बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की आय का प्रमाण पत्र

**5. सेवायोजन
कार्यालय में
पंजीकरण**

(शासनादेश संख्या
981/36-2-2012
दिनांक 23 जुलाई,
2012 द्वारा संशोधित)

किसी वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने की दशा में बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता उसी वित्तीय वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने के माह के अगले माह की पहली तिथि से, इस भत्ते की स्वीकृति की दशा में, अनुमन्य होगा ।

**7 बेरोजगारी भत्ते की
धनराशि**

इस भत्ते की धनराशि ₹0 1,000/- प्रति माह होगी ।

8 प्रक्रिया

1. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहं बेरोजगार व्यक्ति को अपने सेवायोजन कार्यालय, जहाँ वह पंजीकृत है, में इस नियमावली के अनुलग्नक-1 पर निर्धारित प्रारूप पर दिये गये आवेदन पत्र को भर कर प्रस्तुत करना होगा । इस आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न किये जायेंगे:-

(अ) निरस्त ।

(शासनादेश संख्या 981/36-2-2012 दिनांक 23 जुलाई,
2012 द्वारा संशोधित)

(ब) उसी सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र (एक्स-10) की छायाप्रति ।

(स) निरस्त

(शासनादेश संख्या 856/36-5-2012 दिनांक 16 जून, 2012 द्वारा
उपरोक्त बिन्दु संख्या (स) निरस्त कर दिया गया है ।)

**(द) तहसीलदार के स्तर से निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र की
छाया प्रति । (अनुलग्नक-4 निरस्त)**

(शासनादेश संख्या 856/36-5-2012 दिनांक 16 जून, 2012 द्वारा
बिन्दु संख्या (द) उपरोक्तानुसार संशोधित हो गया है ।)

**(य) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा की अंक-तालिका की छाया
प्रति ।**

(र) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र की छाया प्रति ।

(ल) तहसीलदार द्वारा निर्गत बेरोजगार व्यक्ति के परिवार का आय प्रमाण—पत्र । (अनुलग्नक 5 एवं 6 निरस्त)

(शासनादेश संख्या 981/36-2-2012 दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधित)

(व) अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार आवेदक की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।

2. सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया जायेगा, उसके प्रथम दृष्ट्या पूर्ण होने की दशा में आवेदक को अनुलग्नक-7 में निर्धारित प्रारूप पर पावती दी जायेगी ।
3. आवेदक को स्वयं के पते लिखे 11X5" तथा रजिस्टर्ड डाक हेतु निर्धारित रु0 25/- के डाक टिकट लगे दो लिफाफे भी आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे ।
4. (1) बेरोजगार अभ्यर्थी द्वारा जिस जनपद में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया जाता है, उसका उस जनपद के किसी अनुसूचित (scheduled) बैंक के कोर बैंकिंग सेवा वाली किसी भी शाखा में एक बचत खाता होना चाहिए ।

(शासनादेश संख्या 981/36-2-2012 दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधित)

(2) बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र पर बैंक एवं बैंक शाखा का नाम तथा खाता संख्या यथास्थान लिखी जायेगी तथा इसका अभिप्राप्ति आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर सम्बन्धित बैंक के अधिकृत अधिकारी से कराकर आवेदन पत्र सेवायोजन कार्यालय में जमा कराया जायेगा ।

5. (1) बेरोजगार व्यक्ति आवेदन पत्र जमा करते समय हाईस्कूल की मूल अंक तालिका एवं मूल प्रमाण पत्र साथ लायेगा ।
(2) कार्यालय मूल से आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की छाया—प्रति का मिलान पर सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अभिलेख एवं प्रविष्टियाँ ठीक हैं ।
(3) आवश्यक प्रविष्टियों एवं अभिलेखों की जाँच के बाद कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी की उक्त हाईस्कूल की मूल अंक तालिका

के पीछे मोहर लगायी जायेगी, ताकि बेरोजगार व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर भत्ता प्राप्त नहीं कर सके।

6. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास की किसी भी तिथि में सेवायोजन कार्यालय में आकर इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वह अभी बेरोजगार है, जिसके आधार पर उसको अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता रहेगा। यह शपथपत्र नियमावली के अनुलग्नक-8 के अनुरूप होगा।
 7. इस योजना के सुचारू संचालन के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
- 9 योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण**
1. बेरोजगारी भत्ता योजना का कियान्वयन प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सम्बन्धित सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
 2. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा परीक्षण के बाद सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी के द्वारा की जायेगी एवं पूर्ण एवं सही रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र पावती की तिथि से एक माह के अन्दर स्वीकृत कर दिया जायेगा।
 3. जिन व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाता है, उनकी सूची सूचना पट पर लगाने के साथ-साथ विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। साथ ही यह सूची जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों को भेजी जायेगी।
 4. किसी आवेदनपत्र के अस्वीकृति की सूचना सम्बन्धित आवेदक को दी जायेगी।
 5. अर्ह बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान त्रैमासिक किश्तों में किया जायेगा।
 6. यदि बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति के उपरान्त रोजगार प्राप्त कर लेता है, तो रोजगार प्राप्त करने के माह से उसे बेरोजगारी भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा यह सूचित करने का उसका दायित्व होगा कि उसे अमुक माह से रोजगार मिल गया है।
 7. योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा गठित

समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, लीड बैंक अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित दो अन्य अधिकारी होंगे। सहायक निदेशक/जिला रोजगार विकास अधिकारी इस समिति का संयोजक सचिव होगा।

8. जिलाधिकारी द्वारा यथा आवश्यकता स्वीकृत मामलों का समय—समय पर यादृच्छिक (random) सत्यापन कराया जायेगा।
9. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी किसी भी अधिकारी से जॉच करा कर निर्णय लेगा जो अन्तिम होगा।

10 ऑडिट

बेरोजगारी भत्ता योजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्बन्धित सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे तथा यथा समय सुसंगत नियमों के अनुसार आडिट कराया जायेगा।

11 अन्य

1. गलत विवरण देने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति का बेरोजगारी भत्ता रोक दिया जायेगा एवं उसके विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(शासनादेश संख्या 981/36-2-2012 दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधित)

2. निरस्त।

(शासनादेश संख्या 1069/36-5-2012 दिनांक 13 अगस्त, 2012 द्वारा संशोधित)